प्रेषक,

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर-2

सेवा में,

1- कुलपति, - अध्यक्ष
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर-2

2- प्रमुख सचिव (वित्त), - सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

3- सचिव (उच्च शिक्षा), - सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

4- सचिव (कृषि), - सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

5- कृषि निदेशक, - सदस्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- निदेशक पशुपालन, - सदस्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

7- डा0 ए0के0 रहेजा, - सदस्य
अतिरिक्त महानिदेशक (ई0एण्ड बी0सी0),
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।

8- श्री कमलेश कुमार पाठक, - सदस्य
एम0एल0सी0, भण्डारीपुरा, इटावा ।

9- श्री हरि गोविन्द कुशवाहा, - सदस्य
ग्राम-बमनुआ, पोस्ट-टेहरौली, झांसी ।

10-प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह, - सदस्य
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।

11-श्रीमती संतोष कश्यप, - सदस्य
एच-3, शिवलोक कालोनी, हरिद्वार ।

संख्याः सीएसयूपी/सी- 268 /बोर्ड-98 दिनांकः नवम्बर 2 , 1995

महोदय,

इस विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत 30-10-1995 को कानपुर में कुलपति महोदय के कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की एक प्रति आपकी सूचनार्थ प्रेषित है ।

भवदीय,

(सुन्दर लाल)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के **प्रबन्ध मण्डल की 98वीं बैठक की कार्यवाही ।**

---

**दिनांक :** 30-10-1995 **समय :** पूर्वान्ह 11.00 बजे

**स्थान :** कुलपति कक्ष, कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर ।

**उपस्थिति :**

1- डा0 इन्द्र पाल सिंह यादव, कुलपति - अध्यक्ष
2- डा0 डी0पी0 सिंह, निदेशक पशुपालन - सदस्य
3- प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह - सदस्य
4- श्री हरि गोविन्द कुशवाहा - सदस्य
5- श्री सुन्दर लाल, अर्थ नियन्त्रक - सचिव

**मद सं0-1:** **प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 8-9-95 को सम्पन्न हुई 97वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन ।**

प्रबन्ध मण्डल ने गत बैठक की कार्यवाही अनुमोदित की ।

**मद सं0-2:** **प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 8-9-95 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।**

प्रबन्ध मण्डल को कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया ।

**मद सं0-3:** **अनुसंधान, परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आर0टी0टी0सी0) का कृषि अभियन्त्रण विभाग में संविलियन के अनुमोदन का प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया ।

**मद सं0-4:** **वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 30-6-95 में संस्तुत एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 8-9-95 में स्थगित प्रस्ताव ।**

(3)-11 डा0 ए0एस0 वारसी, निदेशक शोध को स्वयं की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 86,586.92 के भुगतान पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

(3)-14 श्री शिव गोपाल, प्रयोगशाला परिचर, पादप प्रजनन एवं जनन विज्ञान विभाग की पत्नी की चिकित्सा पर हुये व्यय के भुगतान पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल श्री शिव गोपाल को रु0 6464.53 पैसे की राशि के भुगतान हेतु अनुमोदन प्रदान किया ।

(3)-15 श्री लक्ष्मी शंकर गुप्ता, शोध सहायक, रबी शस्य अनुभाग के स्वयं की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 7240.57 पैसे मात्र के भुगतान पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

(3)-16 डा0 एस0के0 सिंह, सह-निदेशक प्रसार निदेशालय के स्वयं की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 5517.80 मात्र के भुगतान पर विचार ।

वित्त उप समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रबन्ध मण्डल ने डा0 सिंह को "इन्ट्रा आकूलर लेंस" पर हुये व्यय रु0 4981/- को छोड़कर मात्र रु0 536.80 की प्रतिपूर्ति पर अनुमोदन प्रदान किया ।

(3)-17 डा0 वी0एन0 मौर्य, सहायक प्राध्यापक, उद्यान विभाग के स्वयं की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 93,860.09 पैसे के भुगतान पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

(3)-18 डा0 रामजी शुक्ला, सह-प्राध्यापक, ई0बी0आर0 अनुभाग के स्वयं की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 98,000/- मात्र के भुगतान पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

(3)-19 डा0 डी0एस0 सिंह, सहायक प्राध्यापक, कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यकी विभाग के पुत्र की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 2,09,662.50 मात्र के भुगतान पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

(3)-20 डा0 उमराव सिंह, सहायक प्राध्यापक, कृषि प्रसार विभाग के स्वयं की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 6696.19 के भुगतान पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

(3)-21 कु0 अर्जुन सिंह परिहार, सह प्रशिक्षक, निदेशक प्रसार/सस्य वानिकी कृषि विज्ञान केन्द्र, थरियांव (फतेहपुर) के स्वयं की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 27,008.20 मात्र के भुगतान पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

(3)-22 श्री भजन लाल, प्रयोगशाला सेवक, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा द्वारा पुत्र की चिकित्सा पर वर्ष 1994-95 में किये गये व्यय रु0 7330/- मात्र की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

(3)-23 श्री हरि गोविन्द सिंह, विशेष कार्याधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय की दाहिनी आंख में "मोतिया बिन्द" के आपरेशन पर हुये व्यय रु0 7061.70 पैसे की प्रतिपूर्ति ।

वित्त उप समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रबन्ध मण्डल ने डा0 सिंह को "इन्ट्रा आकूलर लेंस" पर हुये व्यय को छोड़कर शेष राशि रु0 3031.70 की प्रतिपूर्ति पर अनुमोदन प्रदान किया ।

(3)-24 डा0 (श्रीमती) नीरजा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, कीट विज्ञान विभाग को अगस्त 1-11, 1993 में ओसाका (जापान) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने की अनुमति ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त संगोष्ठी में भाग लेने पर हुये व्यय रु0 76,967.85 को डा0 (श्रीमती) अग्रवाल को भुगतान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया ।

(3)–26 निदेशक शोध/निदेशक प्रसार तथा अधिष्ठाताओं को विशेष वेतन रु0 250/– प्रतिमाह के स्थान पर रु0 450/– प्रतिमाह दिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में ।

वित्त उप समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रबन्ध मण्डल ने निदेशक शोध/प्रसार को रु0 250/– प्रतिमाह विशेष वेतन अथवा निःशुल्क आवास के स्थान पर रु0 450/– प्रतिमाह विशेष वेतन अथवा निःशुल्क आवास शासनादेश की तिथि अर्थात 15–10–1991 से प्रदान करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

**मद सं0–5: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार ।**

पूरक–1: विश्वविद्यालय में स्वतन्त्र "अनुरक्षण इकाई" के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

पूरक–2: भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत "स्टार्टिंग आफ एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस योजना" को सस्य विज्ञान विभाग में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

पूरक–3: डा0 डी0एन0 भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक, मूँगफली अनुसंधान केन्द्र, मैनपुरी का अवकाश स्वीकृत किये जाने विषयक ।

पूरक–4: श्री ज्ञानेन्द्र सिंह परिहार, सहायक प्राध्यापक का अवकाश स्वीकृत किये जाने विषयक ।

उपरोक्त दोनों प्रस्तावों पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में परिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कुलपति कार्यवाही करें ।

पूरक–5: प्रबन्ध मण्डल की 97वीं बैठक दिनांक 8–9–95 के निर्देशानुसार राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के साथ प्रिंटिंग प्रेस में पदनाम बदलने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि "आफसेट आपरेटर" का वेतनमान रु0 1200–2040 ही रखा जाये और पदनाम बदलने के लिये शासन को प्रस्ताव भेजकर सहमति प्राप्त कर ली जाय ।

पूरक–6: छठवें दीक्षान्त समारोह में विशिष्ट महानुभावों को "मानद उपाधि" प्रदान करने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव में विद्वत परिषद द्वारा 27–10–95 की बैठक में संस्तुत निम्नलिखित 6 महानुभावों को **"मानद उपाधि"** प्रदान करने के लिये अनुमोदन प्रदान किया ।

1– डा0 जी0सी0 मोहन्ती,
डाइरेक्टर,
आई0वी0आर0आई0, इज्जतनगर (उ0प्र0)

––––4

2- डा0 के0एल0 चड्ढा,
डिप्टी डाइरेक्टर जनरल,
आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली ।

3- डा0 धर्मपाल सिंह,
फारमर डाइरेक्टर, यू0पी0आई0ए0एस0, कानपुर,
भूतपूर्व कुलपति,
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय,
पंतनगर (नैनीताल),
वर्तमान में यू0एस0ए0 में

4- डा0 आर0बी0 सिंह,
डाइरेक्टर, आई0ए0आर0आई0,
नई दिल्ली ।

5- डा0 जी0एस0 खुश,
प्रिंसिपल प्लान्ट ब्रीडर एण्ड हेड,
प्लान्ट ब्रीडिंग जेनेटिक्स एण्ड बायोकेमिस्ट्री डिवीजन,
इण्टरनेशनल राइस रिसर्च इन्स्टीट्यूट,
पोस्ट बाक्स – 933,
1099 मनीला,
फिलीपीन्स ।

6- डा0 एम0ए0 चितले,
सिक्रेटरी जनरल,
इण्टरनेशनल कमीशन आफ इरीगेशन एण्ड ड्रेनेज,
न्याय मार्ग, दिल्ली ।

पूरक-7: विश्वविद्यालय परिनियम के अध्याय-21 की धारा-28(आर) की उपधारा-6 (स्टडी लीव) के संशोधन पर विचार ।

विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 27-10-1995 में की गयी अनुशंसा के आधार पर प्रबन्ध मण्डल ने परिनियम के अध्याय-21 की धारा-28(आर) की उपधारा-6 (स्टडी लीव) में प्रस्तावित संशोधन पर अपना अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया कि प्रस्तर (ए) में "as prescribed" के स्थान पर "for Under-graduate course four years, for Post-Graduate course two years & for Ph.D. course three years" का उल्लेख कर दिया जाय ।

पूरक-8: डा0 (मिस) पूनम अग्रवाल, सह-प्राध्यापक (खाद्य एवं पोषण) गृह विज्ञान विभाग की नियुक्ति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली में प्राध्यापक, वोकेशनल एजूकेशन(होम साइंस) के पद पर हो जाने के फलस्वरुप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

पूरक-9: डा0 बी0पी0 सिंह, आचार्य, पशु प्रजनन एवं सम्बर्धन विज्ञान विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के नेशनल प्रोफेसर (आई0सी0ए0आर0) हेतु आवेदन पत्र को अग्रसारित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने, अनुबन्ध की शर्तें विश्वविद्यालय हित में न होने के कारण प्रस्ताव पर, असहमति व्यक्त की ।

पूरक–10: डा0 अशर्फी लाल, सहायक प्राध्यापक, बीज प्रौद्योगिकी विभाग को छात्र श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, एम0एस–सी0 चतुर्थ सेमेस्टर के प्रकरण में किये गये निलम्बन की कार्यवाही के अनुमोदन हेतु ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 लाल के निलम्बन की कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया ।

बैठक के अन्त में कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल ने कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के स्टाफ की नियुक्तियों पर शासन द्वारा लगाई गयी रोक के सम्बन्ध में अवगत कराया एवं बताया कि नियुक्तियां न होने के परिणामस्वरुप शिक्षण कार्य कुप्रभावित हो रहा है । प्रबन्ध मण्डल ने इस पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाने के लिये तत्काल शासन को लिखा जाये और साथ ही जिन पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार हो चुके हैं, उनके लिफाफे खोल कर नियुक्ति किये जाने हेतु भी शासन से अनुमति प्राप्त की जाये ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गयी ।

अनुमोदित

RSYadav 01-11-95

कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल